



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार

पिन कोड-249 404

संख्या :: 106 /02/E-2/स0अ0अधि0/2021-22

दिनांक :: 30 सितम्बर, 2021

## विज्ञप्ति

### सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के अभियोजन विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त 63 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन संख्या—A-1/E-2/APO/2021 दिनांक 03 अगस्त, 2021 को प्रकाशित किया गया था।

2. शासन के पत्र संख्या— 232/XX-3/2021-01(08)2007 T.C., दिनांक 16 सितम्बर, 2021 द्वारा कुल रिक्त पदों की संख्या यथावत् रखते हुए आरक्षण श्रेणीवार/उप-श्रेणीवार पदों की संख्या में संशोधन किया गया है।

3. उक्त के क्रम में सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 हेतु विज्ञापित रिक्त पदों की आरक्षण श्रेणीवार/उप-श्रेणीवार संख्या में संशोधन हो गया है। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष भरे जाने वाले रिक्त पदों का विवरण अब निम्नवत् है :-

#### ऊर्ध्वाधर आरक्षण का विवरण :-

विभाग	पदनाम	कुल रिक्त पद	श्रेणीवार विवरण				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
			सामान्य	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	
अभियोजन विभाग (Prosecution Department)	सहायक अभियोजन अधिकारी (Assistant Prosecution officer)	63	33	13	02	09	06

#### क्षैतिज आरक्षण का विवरण :-

क्षैतिज आरक्षण	सामान्य	उत्तराखण्ड महिला	दिव्यांगजन (चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमरितकीय अपंगता के लिए)	पूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	अनाथ	कुल पद
अनारक्षित	17	10	01	02	01	02	33
अनुसूचित जाति	07	04	01	01	00	00	13
अनुसूचित जनजाति	02	00	00	00	00	00	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	06	03	00	00	00	00	09
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	02	00	00	00	00	06

( 02 )

4. विज्ञापित पदों की संख्या में संशोधन होने के दृष्टिगत प्रश्नगत विज्ञापन संख्या- A-1/E-2/APO/2021 के सापेक्ष ऑनलाईन आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाईन आवेदन का लिंक पुनः खोला जा रहा है। ऑनलाईन आवेदन सम्बन्धी महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत् हैं :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि	21 अक्टूबर, 2021
आवेदन-शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	21 अक्टूबर, 2021

5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

6. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन किया जा चुका है, किन्तु पदों की श्रेणी/उप-श्रेणी में हुए उपरोक्त परिवर्तन के कारण, ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो रही हो, तो ऐसे अभ्यर्थी पूर्व में भरे गये आवेदन को निरस्त (Cancel) करते हुए पुनः नवीन आवेदन कर सकते हैं। (आवेदन निरस्त किये जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क विज्ञापन की शर्तानुसार वापस नहीं किया जायेगा।)

7. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष किसी उप-श्रेणी के आरक्षण का दावा करते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, किन्तु पदों की श्रेणी/उप-श्रेणी में हुए उपरोक्त परिवर्तन के कारण, आवेदित उप-श्रेणी में रिक्तियों की संख्या शून्य हो गयी हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों को सम्बन्धित मूल श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन संख्या-A-1/E-2/APO/2021 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**-Sd-**  
(कर्मन्द् सिंह)  
सचिव।